न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1119–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–12–2002 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील ग्वालियर प्रकरण कमांक 30/98–99/अ–6–अ.

1– श्रीमती माला शर्मा पत्नी डी0के0 शर्मा
2– श्रीमती शकुंतला शर्मा पत्नी शीतलप्रसाद शर्मा
निवासीगण गुडी गुडा का नाका
लश्कर, ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रामा पुत्र छोटेलाल द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गुड़ी परगना व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 578, 579, 580 व 581 कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा पर बंदोबस्त संवत् 1997 के पूर्व से ही वह शिकमी कास्तकार होकर उसका कब्जा चला आ रहा है एव पुश्त–दर पुश्त राजस्व अभिलेखों में पूर्वजों के समय से नाम

दर्ज रहा है, परन्तु पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख खसरे आदि में इन्द्राज करना बन्द कर दिया गया है, अतः पूर्वानुसार उसका नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 30/98–99/अ–6–अ दर्ज कर दिनांक 30–8–99 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 115 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण इन्द्राज दुरूस्त कर रामा का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा तहसीलदार को दिनांक 12–12–2002 को इस आशय का पत्र लिखा गया कि प्रश्नाधीन भूमियां माफी देवस्थान की होते हुए भी उपरोक्त आदेश दिनांक 30–8–99 से निजी स्वत्व पर दर्ज कर दी गई है, अतः उक्त आदेश को पुनर्विलोकन में लेकर निरस्त करने की कार्यवाही की जाये । उक्त पत्र के पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–12–2002 को आदेशिका लिखी जाकर संहिता की धारा 51 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 30/98–99/अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 30–8–99 के पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से चाही गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति लेने में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 30–8–99 के पुनर्विलोकन की अनुमति लिये जाने का कोई भी आधार आदेशिका में नहीं दर्शाया गया है कि किन कारणों से तहसीलदार के पूर्व आदेश का पुनर्विलोकन करना चाहते हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियां रामा के निजी स्वामित्व की थी, और राजस्व अभिलेखों में रामा का नाम दर्ज था, इसी कारण प्रश्नाधीन भूमियां आवेदकगण द्वारा कय की गई है । इस प्रकार आवेदकगण सद्भाविक केता होने से तहसीलदार द्वारा की जा रही पुनर्विलोकन की कार्यवाही निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पूर्व में आदेश पारित कर शासकीय देवस्थान की भूमि को निजी स्वामित्व में दर्ज कर दी गई है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा की जा रही पुनर्विलोकन की कार्यवाही वैधानिक एवं उचित होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण कमांक 30/98/अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 30–8–1999 के पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु दिनांक 19–12–2002 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी वर्ष 2016 में लगभग 14 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और इस दौरान दिनांक 16–1–2003 को पुनर्विलोकन में अंतिम आदेश भी पारित हो चुका है । अतः निगरानी अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं है । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि इस प्रकरण में आवेदकगण पक्षकार नहीं हैं, क्योंकि उनके नाम प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में कभी दर्ज नहीं रहे हैं, उनकी हैसियत केवल केता की है, और उनके द्वारा भूमि कय करने के पश्चात तत्समय नामांतरण भी नहीं कराया गया है । अतः इतनी लम्बी अवधि के पश्चात राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टि में हस्तक्षेप करना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है, इस कारण भी यह निगरानी अत्यधिक समय बाह्य है । इसके अतिरिक्त निर्विवादित रूप से प्रश्नाधीन भूमि देवस्थान की भूमि है, जिसे निजी भूमि दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2002 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर